

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 16.07.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना रूरा पुलिस द्वारा अ0सं0 327/05 धारा 325/504/506 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त आनन्द कुमार पुत्र विजय नारायण निवासी ग्राम अमौली ठकुराईन थाना रूरा जनपद कानपुर देहात (वारन्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 95/26 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त आदित्य पुत्र गुड्डू कठेरिया निवासी ग्राम गोगूमऊ कुटी थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात (वाँछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मु0नं0 832/16 धारा 323/325/504 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. राजकुमार पुत्र पन्ना लाल व 2. नागेंद्र सिंह पुत्र विश्राम सिंह निवासीगण सैफाबाद थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात (वारन्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मु0नं0 101/23 धारा 323/325/506 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त हरे कृष्णा पुत्र लक्ष्मी यादव निवासी उलरापुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात (वारन्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 537/25 धारा 420/467/468/471 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 शमीम पुत्र हमीद अली निवासी ग्राम बड़ागांव ओनहा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात (वाँछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 127/26 धारा 115(2)/352/351(3)/324(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त नौशाद पुत्र अज्ञात निवासी काशीराम कॉलानी बिरहाना चौराहा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 18 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों व थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।